Research Paper

E-ISSN NO : 2455-295X | IMPACT FACTOR VALUE : 5.983
VOLUME : 11 | ISSUE : 1 | SPECIAL ISSUE JANUARY-2025

ग्लोबल साउथ के देशों में मानवाधिकारों की स्थिति एवं चुनौतियाँ

डॉ. रसीला

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान).

ABSTRACT:

ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में शुरु हुआ, जो औद्योगीकरण के दौर से बाहर चले गए थे, इसमें अधिकतर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश सम्मिलित थे। इसके अलावा वैश्विक उत्तर या ' ग्लोबल नॉर्थ ' को अनिवार्य रूप से अमीर और गरीब देशों के बीच एक आर्थिक विभाजन द्वारा परिभाषित किया गया है। इसमें विशेष रूप से अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को शामिल किया गया। यद्यपि ग्लोबल साउथ के देशों के पास बड़ी आबादी, समृद्ध वनस्पति और प्रचुर प्राकृतिक तत्वों के कारण एक महत्वपूर्ण भूभाग है किन्तु गरीबी, जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्थिरता का आकलन करने के लिये यह हानिकारक है। मानवाधिकार समाज में जीवन यापन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये हैं। मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो किसी व्यक्ति को मानव होने के कारण अनिवार्य रूप से मिलते हैं या मिलने चाहिये। इन मानवाधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सम्मानपूर्वक गरिमामय मानवीय जीवन व्यतीत करने हेतु उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रदान करना हैं। इसीलिये मानवाधिकार एक व्यक्ति के लिये सामान्य जीवन यापन करने के लिये एक अनिवार्य, सार्वभौमिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिये आवश्यक शर्त है। वर्तमान परिदृश्य में मानवाधिकारों का हनन एवं उल्लंघन चरम पर है और इसी उद्देश्य से प्रस्तुत शोध पत्र के अन्तर्गत ग्लोबल साउथ के देशों में मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति एवं मानवाधिकार के क्रियान्वयन एवं सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विस्तृत वर्णन एवं व्याख्या की गई है।

KEYWORDS:

मानवाधिकार, चुनौतियाँ, व्यक्तित्व विकास, समाज, ग्लोबल साउथ ।

प्रस्तावना

वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था, निर्मित कानूनों, स्थायी संस्थाओं और वैश्विक स्तर पर ही संचालित अभियानों की क्रियान्विति हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है किन्तु लम्बे दशक से ग्लोबल साउथ के देशों में मानवाधिकार के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ दिखाई देती है। इन चुनौतियों में गरीबी और वैश्विक असमानताएँ, भेदभाव, सशस्त्र संघर्ष और हिंसा, दण्ड मुक्ति, लोकतंत्र का कमजोर होना, कमजोर संस्थान आदि प्रमुख हैं। इन समस्त चुनौतियों के अतिरिक्त कुछ चुनौतियाँ मानवाधिकारों के क्रियान्वयन में भी दिखाई देती है जैसे- आवश्यक ज्ञान की कमी, क्षमता का अन्तर, प्रतिबद्धता में शिथिलता और सुरक्षा अंतराल आदि। प्रस्तुत शोध पत्र के अन्तर्गत ग्लोबल साउथ के देशों में मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति एवं मानवाधिकार के क्रियान्वयन एवं सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विस्तृत वर्णन एवं व्याख्या की गई है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिकीकरण के समक्ष भी यह चुनौती प्रकट होती है कि ये चुनौती पश्चिमी मूल्यों, रीति-रिवाजों और मानदण्डों को व्यक्त करते हैं। इससे संबंधित चुनौतियाँ, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में भी निहित हैं, अर्थात् पश्चिमी सभ्यताएँ मानवाधिकारों में जो सार्वभौमिक मानदण्ड मानती हैं वे अन्य देशों की संस्कृतियों पर लागू नहीं हो सकते हैं।

आगामी कुछ वर्षों में कई यूरोपीय राज्यों के अतिरिक्त लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों ने मानवाधिकारों की स्थिति की जाँच करने और उन पर रिर्पोटिंग करने और विविध संस्कृतियों के बीच मानवाधिकारों की व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिये पहल और प्रक्रियाओं की स्थापना के माध्यम से इन अधिकारों का समर्थन किया, इसके परिणामस्वरूप ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों के द्वारा भी इस ओर प्रभावी कदम उठाया गया। 1960 के दशक में जमैका, लाइबेरिया घाना फिलीपींस और कोस्टारिका जैसे देशों ने मौलिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रणाली को पुनः स्थापित किया और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल की। ऐसे अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं जो सम्प्रभुता की बाधाओं को पार करेंगे जो अब तक मानवाधिकारों के सार्वभौमिक प्रचार के लिये एक बाधा साबित हुये थे।

प्रथम दृष्टिकोण में ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्विक दक्षिण के देश अपने प्रयासों में बहुत अधिक सफल नहीं हुये, उन्हें विभिन्न प्रकार की बाधाओं का भी सामना करना पड़ा जिसमें एक संदेहात्मक पश्चिमी समूह भी शामिल थे। 1960 के दशक और वैश्विक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रणाली की वास्तविक कहानी यह प्रतीत होती है कि प्रगति को विकासशील देशों ने अधिक आगे बढ़ाया है और तत्पश्चात् इस प्रगति को 1970 के दशक में पश्चिमी देशों के समूहों को सौंप दिया।

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास इसलिये हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। मानवाधिकार राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किये बिना ये हम सभी के लिये सार्वभौमिक अधिकार हैं। मानवाधिकार में सबसे मौलिक जीवन के अधिकार से लेकर वे अधिकार शामिल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे कि भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतन्त्रता का अधिकार। प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 1948 के उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र (UD) महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को अपनाया था। UDHR मानवा अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक का एक हिस्सा है। कई क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ जिनेवा में इसका मुख्यालय है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के अनुसार, संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में मानवाधिकार या अन्तर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित तथा भारत में अदालतों द्वारा लागू किये जाने योग्य है भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। राज्य के द्वारा वर्तमान समय तक मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास मील का पत्थर साबित नहीं हुये हैं और मानवाधिकारों का हनन और उल्लंघन की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होती जा रही हैं। इतिहास में दर्ज मानवाधिकारों के सबसे गंभीर और प्रसिद्ध उल्लंघन में से एक हैं- यहूदियों, समलैंगिकों, कम्युनिस्टों, स्लावों तथा अन्य समूहों को एडॉल्फ हिटलर के 'दुनिया को साफ करने'' के एजेडें के रूप में मानवता से वंचित कर दिया गया था।

समाज के लगभग सभी वर्गों के मानवाधिकार का हनन हो रहा हैं। आदिवासियों के मानवाधिकार का हनन कर उन्हें जंगल, जमीन और पशुओं के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित किया जाता हैं। हाथ से मैला ढोना एक गंभीर चिन्ता का विषय है, यद्यपि भारत सरकार ने इसके समाधान के लिये नीतियाँ बनाई है, लेकिन अब तक कुछ क्षेत्रों में मैला ढोने के मामले देखे जा रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत आता है। शहरीकरण और औद्योगीकरण की वजह से प्रदूषण में वृद्धि के कारण मानव अधिकारों का लगातार उल्लंघन हुआ है। हमारे समाज में महिलाओं को कमजोर माना जाता है और अक्सर उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता है उन्हें समाज में हिंसा का शिकार होना पड़ता है चाहे वह घर की चारदीवारी के भीतर हो या कार्यस्थल पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कैदियों के मानवाधिकारों के अतिक्रमण के खिलाफ बहुत सतर्क रहा है। जबरन श्रम, शारीरिक शोषण/यातना, पुलिस द्वारा

शक्ति का दुरूपयोग करना भी मानवाधिकार के हनन् और उल्लंघन में शामिल है।

विश्वभर में मानवाधिकारों के लिये हुये संघर्षों और उनमें मिली सफलताओं ने ही हमें बदलाव लाने में विश्वास रखने और उस दिशा में प्रयास करना सिखाया मानवाधिकार हमें प्रेरित करते हैं और प्रगति लाने का जरिया है। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो नफरत भरे अमर्यादित भाषण, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक स्थिरता और शांति के लिये खतरा है, सोशल मीडिया, इंटरनेट और षड्यन्त्र की कहानियों के जरिये ऐसी बातें जंगल में आग की तरह फैल जाती है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और शरणार्थियों को कलंकित करने वाली सार्वजनिक बहसों में इन्हें उकसावा मिलता है। यद्यपि लोकतन्त्र और अधिकारवादी दोनों ही तरह की व्यवस्थाओं में इससे निपटने के लिये एक नई रणनीति की घोषणा की है जो उनकी वैश्विक कार्ययोजना का एक भाग है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने भी अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुई चुनौतियों को नजर अंदाज करने के खतरों के प्रति आगाह किया किसी देश के हित ऐसी नीतियों से कैसे आगे बढ़ सकते हैं और विकास कर सकते हैं जिनसे सभी लोगों के कल्याण को हानि पहुँचती हो। स्पष्ट है कि पर्यावरण से अधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक हित नहीं हैं। मानवाधिकारों को सबसे अधिक चुनौती गरीबी से मिल रही है। विश्वभर में हर 8 में से 1 व्यक्ति भूख के साथ जीवन यापन कर रहा है। दुनियां में 24 हजार व्यक्ति रोजाना भुखमरी के शिकार होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मानवाधिकारों की बात करने वालों के लिये ये किसी महान चुनौती से कम नहीं है मानवाधिकार समाज के प्रत्येक प्राणी के लिये महत्वपूर्ण होता है, वह व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब। दुनिया के प्रत्येक निर्धन व्यक्ति को सम्पन्न व्यक्ति और देश को भूख से पीड़ित लोगों को पेट भरकर भोजन करवाने की व्यवस्था करनी चाहिये और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिये।

बालश्रम, महिलाओं का दैहिक शोषण, धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, आदिवासियों के अधिकारों का हनन, लूटपाट आदि सभी कृत्य मानव अधिकारों के खिलाफ जाती है। आज भी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल, बिजली, शिक्षा आदि का अभाव है। मानवाधिकार से संबंधित विभिन्न कानून एवं योजनायें होने के बावजूद भी बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार, तस्करी, ऑनर किलिंग, अस्पृश्यता, गरीबी, महिलाओं के साथ घर या सार्वजनिक तौर पर होने वाली हिंसा आदेश के 7 दशक बीत जाने के बाद भी जारी है। इसीलिये हम सभी को अपने स्तर पर मानवाधिकार के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को समाप्त करने के लिये मिलकर कदम उठाने चाहिये।

वर्तमान दौर में मानव-मानव के रूप में जीने के लिये संघर्षरत है। कहीं धनबल, बाहुबल, सामन्तवाद अथवा राजनीतिक सत्ता का मद उसे उसके अधिकारों से वंचित कर रहा है। तो कहीं सत्ता की अकर्मण्यता एवं अनिच्छा इसे इन अधिकारों से दूर रखे हुये हैं। महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन घर की चार दीवारी से ही प्रारम्भ हुआ। घरेलू हिंसा के साथ-साथ मानसिक प्रताड़ना लगभग समाज के अधिकांश भाग में व्याप्त थी। भेदभाव और प्रताड़ना की घटनायें सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को चुनौती दे रही है। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल कर ली हैं किन्तु आज भी मलेरिया, डेंगु जैसी सामान्य बीमारियाँ लाखों लोगों की जान ले रही है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि ईश्वर का रूप माना जाने वाला एक चिकित्सक मानव के विभिन्न अंगों की चोरी करके धन कमा रहा है। कन्याभ्रूण हत्याओं में निरन्तर वृद्धि होना भी मानवाधिकारों के हनन का एक ज्वलन्त प्रश्न है। दहेज जैसी सामाजिक बुराई के कारण महिलाओं को ही मानसिक-शारीरिक यंत्रणाओं के दौर से गुजरना पड़ता है।

मानवाधिकारों की चुनौतियों का समाधान करने के लिये लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ इनसे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के विभिन्न आयाम एवं सुझाव स्पष्ट करने होगे। यद्यपि सर्वज्ञात है कि मानवाधिकारों के हनन के सबसे ज्यादा मामले महिलाओं से जुड़े हैं इन सभी समस्याओं के समाधान के लिये कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिसा, शारीरिक शोषण, उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के उपाय किये जाने चाहिये।

- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कार्य है लोगों विभिन्न नियमों, कानूनों एवं अधिनियमों की जानकारी देना।

- मानवाधिकारों की रक्षा के लिये वैधानिक मानवाधिकार एजेंसियों की स्थापना की जानी चाहिये।

- मानवाधिकार को विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

- निरक्षर जनता के लिये विधिक साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाए और उसमें मानवाधिकार को भी एक विषय के रूप में शामिल किया जाए।

- मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के लिए संचार माध्यमों जैसे प्रिन्ट मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाना चाहिये।

- स्वैच्छिक संगठनों को मानवाधिकार के प्रति जागरुक किया जाए।

- सरकारी संस्थानों, कार्यालयों को मानवाधिकारों के प्रति समय-समय पर सतर्क करने हेतु परिपत्र जारी किए जाए।

- मानवाधिकारों की दिशा में कार्यरत संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों का चिन्हीकरण किया जाए तथा उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

- मानवाधिकारों को समाज में जन-आन्दोलन के रूप में प्रचारित एवं प्रसारित किया जाए।

- यदि कोई समाज कानून के शासन के तहत लोकतांत्रिक शासन का अनुसरण करता है और यदि समाज सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धान्तों के अनुसार जीवनयापन का प्रयास करता है तो लोगों के पास बेहतर जीवन अवसर होंगे और वे गरीबी के चक्र से भी बाहर आ सकते हैं। गरीबी से बाहर निकलने का मुख्य मार्ग शिक्षा है। देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिये नये-नये आयाम खोजने चाहिये। दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले अन्याय मानवीय विवेक को झकझोर देने वाले है। यदि भविष्य में भी हम महिलाओं को सशक्त नहीं बनाते हैं और उन्हें न्याय नहीं देते हैं, तब तक संघर्ष, पिछड़ापन और अन्याय की समस्याओं पर नियंत्रण करने की संभावना बहुत कम है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः वर्तमान में मानवाधिकार की अवधारणा महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। मानवाधिकार के समर्थन में व्याप्त इस आन्दोलन की उपादेयता तभी है जब समाज से सभी प्रकार के भेदभावों, अत्याचारों और शोषण का अन्त किया जायेगा, किन्तु वर्तमान का तंत्र इस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। आज भी भारतीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने पर मानवाधिकार की विभिन्न समस्याएँ दृष्टिगोचर होती हैं जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है। मानवाधिकार रणनीति नहीं, व्यवस्था का विषय है। यह मानवतावाद की सर्वोत्तम अभिव्यक्तित्व एवं उत्कृष्ट व्यावहारिकता इसलिये मानवाधिकार के समक्ष जो भी समस्याएँ उपस्थित हैं उन सभी का समाधान करना ही इस संकल्पना का लक्ष्य है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक राष्ट्र और राज्य को निरन्तर प्रयास करने चाहिये अन्यथा समाज की आगामी स्थिति भयावह हो सकती हैं।

REFERENCES

1. महाश्वेता, शर्मा, ए., शुक्ल, एस. एवं सिन्हा, बी., 2005, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
2. अग्रवाल, एच. ओ., 2014, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
3. बाबेल, बी.एल., 2024, मानवाधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
4. सिंह, डी., 2012, भारत में मानव अधिकार, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
5. चौधरी, एम. एवं परिहार, एच. 2017, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, राजस्थानी ग्रन्थागर।
6. तारकुंड, वी.एम., 1995, मानवाधिकारों का दर्शन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. अंसारी, एम.ए., 2003, महिला एवं मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
8. सिंह, आर., 2006, मानवाधिकार एवं महिलाएँ, अविष्कार प्रकाशन, जयपुर।
9. त्रिपाठी डी.पी., मानवाधिकार, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी प्रकाशन।
10. https://anubooks.com

11. https://nhrc.nic.in
12. https://egyankosh.ac.in
13. https://www.socialresearch.com
14. https://www.indiacode.nic.in